


शेख मम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5 21	<p>वादी ने वाड पत्र बिद्धो करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पञ्जवली में समाप्त प्रस्तुत हुई। डापी वादी मय अधिकारता उपरिक्त धारणा पत्र पर अधिकारता को सुना गया जिन्होंने प्रकण नदी - यलाकर बिद्धो करने का निवेदन किया पञ्जवली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाड नदी - यलाकर बिद्धो करना चाहता है। अतः वाड वादी बिद्धो करने की अनुमति दी जाती है। पञ्जवली वाड बिद्धो किया जाकर पञ्जवली केवल सुमाए दीकर बंद होकर है।</p> <p style="text-align: center;">  28/11/17 उपखण्ड अधिकारी डूंगला </p>	

